

17.11.16

आज पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता उपाध्याय अधिवक्ता ने बताया कि डाया प्रार्थना पर मे कोई कार्रवाई नहीं-वादी है। अतः प्रार्थना पर कोई विडू किया है। अतः पत्रावली केसस सुमार लोक नम्बर से काम हो। पत्रावली इपटर दायित्व किया जावे।

aman